प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 117/2022 (2022/439)

1. रोडू पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सरसडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

2. कैलाश पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
3. कालू पुत्र रामदेव जाति कुम्हार
4. गीता देवी पत्नि रामदेव जाति कुम्हार
5. नारायणी पुत्री रामदेव जाति कुम्हार
6. रामकिशन पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
7. रामप्रसाद पुत्र रामदेव जाति कुम्हार
8. रामलाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
9. किशनलाल पुत्र नाथू जाति कुम्हार
10. कमला पत्नि घीसा जाति धोबी
11. कालू पुत्र घीसा जाति धोबी
12. भागचन्द पुत्र घीसा जाति धोबी

समस्त निवासीगण सरसडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

शिवप्रसाद पाराशर :– अधिवक्ता प्रार्थी

पराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 11.05.2023

पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आज प्राशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
297–275	710	0.13	चा.उ.
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.13 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी अपने कृषि आराजीयात में तारबंदी का कार्य करवाना चाहता है जिसके लिए पडोसियों से रास्ते की भूमि को लेकर कोई विवाद ना हो इसके लिए प्रार्थी अपनी आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी की आराजीयात का प्रतिवादी द्वारा 2 बार सीमाज्ञान किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादीगण व प्रार्थी का मोके पर सीमा को लेकर विवाद है इसलिए प्रार्थी अपनी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

दारी की आराजीयात को स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये ज्ञान से प्रार्थी कतई सन्तुष्ट नही है इसलिए वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित आवश्यक है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की आराजीयात का दो बार ज्ञान करवाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण दिनांक 30.05.2022 को प्रार्थी की आराजीयात में आये दिन ज्ञान का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते है जिससे मौके पर विवाद होने की पूर्ण संभावना अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी की स्थायी पत्थरगढी जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये न तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 लगायत 12 बावजूद सूचना उनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब कार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, हित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन या। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की तेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम रसडी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 297–275 में दर्ज खसरा संख्या 710 कबा क्रमशः 0.13 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर ाज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर राजस्थान
सत्यमेव जयते